राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय
Rajasthan University of Health Sciences
सेक्टर–18, कुम्भा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर –302033
दूरभाष : 0141–2791928, फैक्स : 0141–2795550

एफ–2(   )संस्थापन– I/राज.स्वा.वि.वि./जयपुर/2023/ 4598   दिनांक 17/5/2023

कार्यालय आदेश

वित्त (नियम अनुभाग) विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश कमांक प. 13(12) वित्त(नियम)/2021 जयपुर दिनांक 20.04.2023 द्वारा राजकीय उपक्रमों/ स्वायत्तशासी निकायों/ विश्वविद्यालय आदि संस्थाओं में, जहां NPS लागू थी या कोई भी योजना लागू नहीं थी, उक्त संबंध में वित्त विभाग के उक्त आदेश द्वारा समस्त राजकीय उपक्रमों/ स्वायत्तशासी निकाय/बार्ड/ विश्वविद्यालय आदि में पुरानी पेंशन योजना (OPS) विभिन्न शर्तो/बिन्दुओं का निर्धारण करते हुये आदेश जारी किये गये है।**(प्रति संलग्न)**

वित्त (नियम अनुभाग) विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश कमांक प. 13(12) वित्त(नियम)/2021 जयपुर दिनांक 20.04.2023 की अनुपालना में विश्वविद्यालय व विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालय व संस्थान (राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय व चिकित्सालय/दंत विज्ञान महाविद्यालय व चिकित्सालय/नर्सिंग विज्ञान महाविद्यालय/आई.पी.एच.) में कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि इस विश्वविद्यालय में 01.01.2004 के पश्चात नियुक्त कार्मिकों पर लागू नवीन पेंशन अंशदान (NPS) के स्थान पर वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 20.04.2023 के अनुसार पुरानी पेंशन योजना (OPS) हेतु निर्धारित प्रपत्र में कुलसचिव/प्रधानाचार्य व नियन्त्रक को दिनांक 15.06.2023 तक आवश्यक रूप से पुरानी पेंशन योजना के पुनर्विकल्प/विकल्प हेतु आवेदन प्रस्तुत करें। साथ ही प्रस्तुत विकल्प पत्र अन्तिम होगा तथा किसी अधिकारी/कर्मचारी का विकल्प पत्र 15.06.2023 तक प्राप्त नहीं होता है तो माना जावेगा कि अधिकारी/कर्मचारी नवीन पेंशन अंशदान (NPS) का सदस्य बना रहना चाहता है।

उक्त आदेश वित्त समिति/प्रबन्ध मण्डल के निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

कुलसचिव

एफ–2(   )संस्थापन– I/राज.स्वा.वि.वि./जयपुर/2023/ 4599–610   दिनांक 17/05/2023

प्रतिलिपि निम्नांकित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, माननीय कुलपति/प्रति–कुलपति महोदय,राज.स्वा.वि.वि, जयपुर।
2. निजि सहायक, कुल सचिव/वित्त नियन्त्रक/परीक्षा नियन्त्रक, राज.स्वा.वि.वि, जयपुर।
3. प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय व चिकित्सालय/दंत विज्ञान महाविद्यालय व चिकित्सालय/नर्सिंग विज्ञान महाविद्यालय/आई.पी.एच., जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके महाविद्यालय व संलग्नक चिकित्सालय में कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों (शैक्षणिक/अशैक्षणिक) को सूचित कराया जाना सुनिश्चित करें।
4. विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालय (राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान/दंत/नर्सिंग विज्ञान महाविद्यालय व चिकित्सालय/आई.पी.एच.) के समस्त विभागाध्यक्षक/समस्त कार्यालय व अनुभाग प्रभारी अधिकारी/ समस्त अधिकारी/कर्मचारी (शैक्षणिक/अशैक्षणिक) ....
5. आहरण एवं वितरण अधिकारी, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान/दंत विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर।
6. प्रभारी अधिकारी विश्वविद्यालय–वैबसाईड, राज.स्वा.वि.वि., जयपुर को प्रेषित लेख है कि उक्त आदेश को विश्वविद्यालय की वैबसाईड पर अपलोड करने करावें।
7. कार्यालय नोटिस बोर्ड।
8. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. बलवीर सिंह राठौड)
अतिरिक्त–कुलसचिव

B:\All Data\1 Establishment\4 Office Order 2013.docx /444